कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, कचान्दुर, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक/रखरखाव/CCMGMCH/2025/ 1851 दुर्ग, दिनांक/ 17-12-2025

//रूचि की अभिव्यक्ति//

विषय:- चिकित्सालय के विभागों में स्थापित Rediant Warmer उपकरण का वार्षिक रखरखाव (ए.एम.सी/ सी.एम.सी.) किये जाने के संबंध में।

--XX--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय कचांदुर दुर्ग (छ.ग.) के विभिन्न विभागों में स्थापित Rediant Warmer मशीन का व्यापक रखरखाव/मरम्मत एवं वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी./सी.एम.सी.) हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया जाता है, जिसके लिए निम्नलिखित प्रारूप में ही कोटेशन/प्रस्ताव प्रस्तुत करें :-

क्र.	विभाग का नाम	कंपनी	मशीन का नाम	सीरियल नंबर	संख्या	वार्षिक रखरखाव दर प्रति नग	कर विवरण	कुल राशि प्रति नग
1.	एस.एन.सी.यू.	Zeal Medical Pvt. Ltd.	Radiant Warmer	RHW5002B/0224/1055	1			
			Radiant Warmer	RHW5002B/1123/772	1			
			Radiant Warmer	RHW 5002B/0224/1058	1			
			Radiant Warmer	RHW 5002B/0224/1051	1			
		Infency Care System	Radiant Warmer	1007	1			
			Radiant Warmer	1006	1			
			Radiant Warmer	N/A	1			
			Radiant Warmer	1004	1			
2.	प्रसूति एवं स्त्री रोग	Infency Care System	Radiant Warmer	1005	1			
			Radiant Warmer	NA	1			
			Radiant Warmer	NA	1			

<u>वार्षिक रखरखाव अनुबंध हेतु नियम एवं शर्तें :-</u>

1. प्रस्ताव के प्राप्त दर की वैधता एक वर्ष तक रहेगी जिस हेतु 100रू. नॉन जूडिशल स्टॉम्प पेपर में अनुबंध किया जायेगा। अनुबंध दिनांक से प्रस्ताव एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करे। दर अंको एंव शब्दों दोनों में अंकित की जानी चाहिए।
3. रखरखाव हेतु चिकित्सालय में भौतिक निरीक्षण स्वयं कर दर प्रस्तुत करें। **" जहाँ है जैसा है" के शर्त पर रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित है।**
4. वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) की दर मशीनों की वर्तमान स्थिति को देखकर ही उल्लेखित करें। साथ ही मरम्मत कार्य में लगने वाले पार्ट्स की दर भी पृथक से उल्लेख करें, जो अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगी।

....2

5. आपातकालीन स्थिति (दूरभाष) पर बुलाये जाने पर 24 घंटे के भीतर सर्विस देना अनिवार्य होगा।
6. रखरखाव का कार्य संतोषप्रद होने पर समान शर्ते एवं दरों पर वैधता बढ़ाई जा सकती है।
7. किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग को होगा, जिसका कारण बताने के लिये कार्यालय बाध्य नहीं है।
8. उक्त कार्य निर्माता/अधिकृत पंजीकृत अनुभवी फर्म एवं सर्विस प्रोवाईडर उक्त प्रस्ताव में शामिल हो सकते है।
9. सेवा प्रदाय किये जाने के उपरांत सर्विस रिर्पोट प्रदाय करनी होगी जो रखरखाव शाखा के तकनीकी सदस्य द्वारा सत्यापित करेगे। तथा कोई भी कार्य रखरखाव शाखा के तकनीकी सदस्य/जूनियर इंजीनियर के देखरेख में ही संपादित होगी।
10. वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) प्रदाय की गई सर्विस दर शामिल होगी। वार्षिक रखरखाव का भुगतान 06-06 माह की अवधि में किया जायेगा, प्रथम भुगतान वार्षिक रखरखाव के 06 माह पूर्ण करने के पश्चात् एवं अंतिम भुगतान 01 वर्ष सफलतापूर्वक सेवा प्रदाय किये जाने के पश्चात् किया जायेगा। यदि वार्षिक रखरखाव संतोषप्रद नहीं किये जाने की स्थिति में आदेश निरस्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
11. समस्त क्रय/रखरखाव कार्य की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 अथवा प्रचलित शासन के भंडार क्रय नियम/शासकीय नियम के अनुसार शासित होंगे।
12. वार्षिक रखरखाव की आदेश में वर्णित मशीनों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। दर्शित संख्या अनुमानित है। शर्तो के पालन नहीं किये जाने की स्थिति में या किसी भी विवाद की स्थिति में आदेश निरस्त किया जा सकता है एवं नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती।
13. राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नहीं होगी। उक्त संबंध में उन्हे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त कार्य अत्यधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता की होना चाहिए।
14. आपके द्वारा प्रदाय की गई समस्त जानकारी सत्य है एवं मुझे आपके सभी नियम एवं शर्ते मान्य है के संबंध में आपको एक नॉन जूडिशल स्टॉम्प पेपर में शपथ पत्र प्रस्तत करना होगा।

अतः उपरोक्तानुसार कोटेशन/प्रस्ताव दर मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त कोटेशन/प्रस्ताव मान्य नहीं की जावेगी।

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
सम्बद्ध चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/रखरखाव/CCMGMCH/2025/ दुर्ग, दिनांक/

प्रतिलिपिः-

अधिष्ठाता, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदूर, जिला-दुर्ग (छ.ग) की ओर सादर सूचनार्थ।

//

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
सम्बद्ध चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग (छ.ग.)